

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 55/2016

वादपत्र धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट. 1955

नन्दलाल पिता नारायण ब्राहमण नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- किशनलाल पिता स्व. नानुराम कुम्हार नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- लालु पिता स्व. नानुराम कुम्हार नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. नानुराम कुम्हार नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- श्रीमती धापुबाई पुत्री स्व. नानुराम कुम्हार नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 5- अणछाईबाई पत्नी स्व. नानुराम कुम्हार नि. सांगरिया तहसील बड़ीसादड़ी
- 6- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

-प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- नन्दलाल पिता नारायण ब्राहमण सा. सांगरिया

आ. नं.	रकबा
1541/1	0.0324
1	0.0324

- 2- किशनलाल, लालु, मांगीबाई, धापुबाई पिता नानुराम अणछाईबाई पत्नी स्व. नानुराम कुम्हार सा. सांगरिया रहन बदस्तूर जमाबंदी

आ. नं.	रकबा
1541 मी.	0.1776
1	0.1776

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18. 9. 2023 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



बिन्दु बाला राजावत (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

